

डिक्री बमुकदमें इत्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय-सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या- 57/2024 वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 88 आर.टी.ए।

नथासिंह पुत्र गनीसिंह 2-गुरदाससिंह पुत्र नथासिंह 3-चरणजीतकौर पत्नी गुरदाससिंह
कुलविन्द्रसिंह पुत्र केवलसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 3 ए.एम.पी. तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

-वादीगण-

बनाम

बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह 2-जसवीरसिंह पुत्र गनीसिंह 3-बलराजसिंह पुत्र जसवीरसिंह
अमरजीतकौर पत्नी केवलसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 3 ए.एम.पी. तहसील
संगरिया 5-मिसरी उर्फ जसप्रीतकौर पुत्री केवलसिंह पत्नी जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख
जातिन ढाणी चक 3 ए.एम.पी. हाल आबाद देसूजोधा तहसील डबवाली (हरि.) 6-शिवराजसिंह
पुत्र बुगरसिंह जाति जटसिख सा0 ढाणी चक 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राजस्थान) 7-तहसीलदार "राजस्व"संगरिया (भू-धारक)

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबात इस्तकरार हक एवं खाता विभाजन।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कर्तई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई जिनेन्द्रकुमार बाथम
जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण एवं प्रति0
संख्या 1 से 4 व 6 दावा के पहरा संख्या 5 में वर्णित चक न0 3 ए.एम.पी. खाता सं. 108/7,
व 133/80 व 12/5 व 137/7 व 91/7 व 134/108 व 107/108 व 136/108 व
44/108 की कुल भूमि के मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित
किये जाते हैं उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 5 मिसरी पुत्री केवलसिंह का नाम कलमजन
करने व वादीगण एवं प्रति0 संख्या 1 से 4 व 6 का हिस्सा आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया
जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादीगण एवं प्रति0 संख्या 1 से 4 व 6 दावा के पहरा संख्या
5 एवं राजीनामा के पहरा संख्या 1 के क से ज में वर्णित कब्जा काश्त अनुसार निम्न प्रकार
से राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने एव रकम राज अलग अलग से कायम किये जाने के
आदेश दिये जाते हैं।

(क) वादी संख्या 1-नथासिंह पुत्र गनीसिंह जाति जटसिख सा0 ढाणी चक
नम्बर 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण :-
चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 108/7 व खाता संख्या 137/7

प. नं.	मु.नं.	किला नंबर
162/135	3	12/0.085, 13-18/0.506, 19/0.084, 22/0.084, 23-24/0.506,
161/136	22	18/1/0.114, 19/0.139,

कुल-1.518

शेष पृष्ठ 2 पर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ख) वादी संख्या 2-गुरदाससिंह पुत्र नथासिंह जाति जटसिख सा0 ढाणी चक 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 108/7

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
161/136	22	1/1/0.228, 1/2/0.025, 10-11/0.506, 19/0.089, 20/0.228, 22/1/0.126, कुल-1.202

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 133/80

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
162/136	21	2/1/0.076, 9/0.253, 12/0.092 कुल-0.421

महाकुल-1.623

(ग) वादी संख्या 3-चरणजीतकौर पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख सा0 ढाणी चक 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 12/5

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	11/0.253, 12/1/0.127, कुल-0.380

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 107/108

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	12/2/0.126, 13/0.253 कुल-0.379

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 108/7

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	14/0.077, 16/1/0.215, 16/2/0.025, 17/0.240 कुल-0.557

महाकुल-1.316

(घ) वादी संख्या 4-कुलविन्द्रसिंह पुत्र केवलसिंह 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4-अमरजीतकौर पत्नी केवलसिंह 1/3 हिस्सा जाति जटसिख सा0 ढाणी चक न0 3 ए.एम.पी. तह0 संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 12/5 व 108/7

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/136	23	2-3/0.506, 4/1/0.013, 8-9/0.506, 12-13-18-19-22-23/1.518,
164/137	37	6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 से 10/1.012, कुल-3.808

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 108/7

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	14/0.176, 15/1/0.228, 15/2/0.025, कुल-0.429

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 133/80 सम्वत् 2072-2075 :-

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
162/136	21	2/1/0.152, 2/2/0.025, कुल-0.177

शेष पृष्ठ 3 पर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 91/7 सम्वत् 2072-2075 :-

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर	
160/136	23	4/2/0.012, 5/1/0.025,	कुल-0.037
			महाकुल-4.451

(ड) प्रतिवादी संख्या 1-बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह जाति जटसिख सा0 ढाणी चक न0 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 137/7 व खाता संख्या 108/7

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर	
161/136	22	16-17/0.456, 18/2/0.114,	
162/135	3	11-20-21/0.759 12/0.168, 19/0.169, 22/0.169	
162/136	21	10/0.228, 11/0.228 20/0.202, 21/0.253	
164/137	37	19 से 21/0.759,	

महाकुल-3.505 है0

(च) प्रतिवादी संख्या 2-जसवीरसिंह पुत्र गनीसिंह जाति जटसिख सा0 ढाणी चक न0 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 12/5

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर	
160/136	23	4/1/0.114,	कुल-0.114

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 91/7 व 133/80

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर	
160/136	23	4/2/0.114, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 6/1/0.228,	
		6/2/0.025, 7-14/0.506, 15/1/0.228,	
		15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025,	
		17-24/0.506, 25/1/0.228, 25/2/0.025,	
160/137	33	5/1/0.228, 5/2/0.025,	
162/136	21	12/0.161,	
164/137	37	22/0.007, 23/1/0.126,	
165/137	38	21-22/0.506,	कुल-3.419

महाकुल-3.533

(छ) प्रतिवादी संख्या 6-शिवराजसिंह पुत्र बुगरसिंह जाति जटसिख सा0 ढाणी चक न0 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 108/7

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर	
164/137	37	16/1/0.013, दक्षिणी पासा	
		17/0.013 दक्षिणी पासा	कुल-0.026

शेष पृष्ठ 4 पर


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 136/108

पं. नं. मु.नं. किला नंबर
164/137 37 18/0.253, 22/0.246, कुल-0.499

गुरदास सिंह पुत्र गनीसिंह महाकुल-0.525 है0

(ज) वादी संख्या 1-नथासिंह पुत्र गनीसिंह 0.173 है0 वादी संख्या 4-कुलविन्द्रसिंह पुत्र केवलसिंह 0.188 है0 प्रति0 सं. 1-बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह 0.348 है0 प्रति0 सं. 2 जसवीरसिंह पुत्र गनीसिंह 0.212 है0

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 108/7 व खाता सं. 137/7 व खाता सं. 133/80 व खाता संख्या 91/7 व खाता संख्या 12/5 में से निम्न

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
162/136	21	1/1 से 4/0.228, 1/5 से 8/0.025, 10-11/0.050, 20/0.051,
161/136	22	16-17/0.050 18/1/0.012, 18/2/0.013, 19/0.025, 20/0.025
162/137	35	2/2/0.126
164/137	37	3/0.253, 4/2/0.063,

कुल-0.921 है0

यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिफ्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत 1000.....। खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।।
बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.3.2024 को जारी किया गया



(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, समरिया
सगरिया